

COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-110001.

No. 14(6)1/86-E.II (PD)

April 22, 2010

The Directors/Heads of all National Labs./Instts.

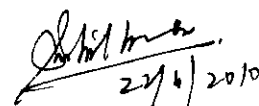
Sub: Instructions related to outsourcing of certain jobs by CSIR Labs./Instts. – compliance of the provisions of Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1971 and other related labour laws etc.

Sir,

I am directed to invite a reference to CSIR Circular No. 4-14(24)/2003-E.II dated 25/26 April 2005 on the subject cited above and to state that the guidelines/instructions contained in CSIR Circulars No. 14(6)1/86-E.II dated 13-1-2003 and 3-10-2003 relating to managing the security and house keeping jobs in the Labs./Instts., may please be strictly followed and it should be ensured that proper Agreement is executed by the Contractor, as per the draft Agreement circulated by CSIR and all the requirements under Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1971 and other labour laws are strictly complied with by the Contractor and the Lab./Instt.

It is, therefore, once again requested that while awarding any job contract including AMC in the Lab./Instt., the instructions issued from time to time by CSIR including Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1971 and other labour laws, may please be followed scrupulously, to avoid any legal complication at a later stage.

Yours faithfully,


22/4/2010
(Sushil Kumar)

Sr. Deputy Secretary

Copy to:

1. Sr. COA/COA/AO of all Labs/Instts.
2. Sr. Dy. FA/Dy. FA/Sr. F&AO/F&AO of all Labs./Instts.
3. PS to DG, CSIR
4. PS to JS (Admin.)
5. Legal Adviser, CSIR
6. Staff Officer to DG, CSIR
7. Deputy Secretary (CO)/Deputy Secretary (Complex)
8. Mr. T. Mahesh Babu, Tech. Officer and Secretary, Staff Side, JCM, IICT, Hyderabad.
9. Head, IT Division with the request to make this circular available in the website.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110 001



सं. 14-(6)1/86-ई-II(पीडी)

दिनांक: 22 अप्रैल, 2010

सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के प्रधान

विषय : सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा कुछेक कार्यों को आउटसोर्स कराने संबंधी अनुदेश - संविदा श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1971 और अन्य श्रम विधि इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन

महोदय,

मुझे उक्त विषयक सीएसआईआर के दिनांक 25-26 अप्रैल, 2005 के परिपत्र सं. 4-14(24)/2003-ई-II का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रयोगशालाओं/संस्थानों में सुरक्षा तथा हाउस कीपिंग कार्यों को कराने संबंधी सीएसआईआर के दिनांक 13.01.2003 तथा 03.10.2003 के परिपत्रों सं. 14(6)/1/86-ई-II में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा अनुदेशों का अनुपालन सख्ती के साथ किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि सीएसआईआर द्वारा परिचालित ड्राफ्ट करार के अनुसार संविदाकार (ठेकेदार) द्वारा उपयुक्त करार किया जाए और संविदाकार तथा प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा संविदा श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1971 तथा अन्य श्रम विधियों का सख्ती के साथ अनुपालन किया जाए।

अतः एक बार फिर अनुरोध है कि प्रयोगशाला/संस्थान में एमसी सहित किसी भी कार्य संविदा को अवार्ड करते समय संविदा श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1971 तथा अन्य श्रम विधियों सहित सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जाए ताकि बाद में आने वाली किसी कानूनी अड़चन से बचा जा सके।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
22/4/2010
वरिष्ठ उप सचिव

प्रतिलिपि :-

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वित्त व लेखा अधिकारी
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (प्रशा.), की निजी सचिव
5. विधि सलाहकार, सीएसआईआर
6. महानिदेशक, सीएसआईआर के स्टाफ अधिकारी
7. अवर सचिव (के.का.)/उप सचिव (कॉम्प्लेक्स)
8. श्री टी. महेश बाबू, तकनीकी अधिकारी तथा सचिव, स्टाफ साइड, जेसीएम, आईआईसीटी, हैदराबाद
9. प्रधान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।